अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्याय कक्ष सं०-13, गाजियाबाद।

उपस्थित:-पीठासीन अधिकारी- सौरभ गोयल (एच.जे.एस.)(UP 2757)

(विविध सिविल अपील संख्याः-24/2015)

नर सिंह आदि बनाम श्रीमती राजकुमारी

उपस्थिति:-1-अपीलार्थीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सुबोध कुमार त्यागी।

2-उत्तरदाता की ओर विद्वान अधिवक्ता श्री धर्मवीर शर्मा।

दिनांक-**01.12.2023**

निस्तारण प्रार्थना पत्र कागज संख्या 9ग अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी.

1- अपीलार्थी नर सिंह की तरफ से प्रार्थना पत्र कागज संख्या 9ग जरिये विद्वान अधिवक्ता इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि वादनी/रेस्पोन्डेन्ट द्वारा वाद संख्या 392/2013 राजकुमारी बनाम नर सिंह, सिविल जज गाजियाबाद के न्यायालय में योजित किया गया था। न्यायालय ने वादनी/रेस्पोन्डेन्ट के 6ग2 प्रार्थना पत्र को दिनांक 20.02.2015 को स्वीकृत किया गया था। आदेश दिनांक 20.02.2015 के विरुद्ध अपीलार्थीगण/ प्रतिवादीगण ने उक्त सिविल वि० अपील न्यायालय में योजित की गयी। अपीलार्थीगण के मकान की फर्जी व्यक्ति बनाकर बैनामा किया गया। अपीलार्थीगण ने अपने प्रतिवादपत्र में यह कथन किया कि बैनामा फर्जी व्यक्ति को खड़ा करके किया गया, बैनामा अवधेश सिंह द्वारा नहीं किया गया है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में बैनामा में पहचान के रूप में अंकित डी.एल. 65786 अंकित होने के कारण अवधेश के द्वारा ही बैनामा किया जाना माना था। न्यायालय के समक्ष अपीलार्थीगण द्वारा डी.एल. 65786 को ए.आर.टी. कानपुर से सत्यापित कराने हेतु दिनांक 29.03.2019 को पत्र लिखा। दिनांक 25.04.2019 को ए.आर.टी. कानपुर द्वारा न्यायालय में रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी कि लाईसेंस संख्या 65786 का उल्लेख कम्प्यूटर सिस्टम में नहीं है। अपीलार्थीगण ने न्यायालय सी.जी.एम. गाजियाबाद के यहाँ धारा 156(3) दं०प्र०सं० के अंतर्गत राज कुमारी व गवाहान के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराने का निवेदन किया कि न्यायालय ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना का आदेश पारित किया गया। थाना साहिबाबाद में रिपोर्ट संख्या 285/2021 धारा 420,467,468,471,120बी भा०दं०सं० के अंतर्गत अवधेश सिंह, श्रीमती राजकुमारी, नाजर सिंह, फूल सिंह के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज की, बाद विवेचना न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया तथा बैनामाकर्त्ता फर्जी व्यक्ति पाया गया। अपीलार्थीगण को न्यायालय में दाखिल एफ.आई.आर. आरोप पत्र सत्यापन की सत्य प्रतिलिपि भी दाखिल किया जाना अति आवश्यक है। प्रार्थना की गयी है कि न्यायहित में अपील के निस्तारण हेतु संलग्न सत्य प्रतिलिपि दाखिर करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।

2- उत्तरदाता श्रीमती राजकुमारी की तरफ से जरिये विद्वान अधिवक्ता प्रार्थना पत्र कागज संख्या 9ग के विरुद्ध आपत्ति कागज संख्या 11ग प्रस्तुत की गयी है। आपत्तिपत्र में संक्षेप में कथन किया गया है कि अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत अपील में कागजात दाखिल करने की अनुमति लेने के संबंध में खिलाफ कानून व वाकात है, जो हर हाल में खण्डित होने योग्य है। अपील जिस आदेश के विरुद्ध उससे पूर्व अधीनस्थ न्यायालय में उपरोक्त कागजात दाखिल करने थे, जो नहीं किये गये और अब

अपील में कागजात दाखिल करने का प्रावधान नहीं है। जिस व्यक्ति से प्रार्थिनी/रेस्पोण्डेन्ट ने बैनामा कराया है अथवा जिस भूमि का बैनामा कराया है उसका स्वामी आज तक कोर्ट में किसी आपत्ति के लिए नहीं आया है और न ही उक्त बैनामे के संबंध में बैनामा खण्डित कराने का दावा नहीं किया है। अपीलार्थी नर सिंह का विवादित भूमि से कोई भी वास्ता ताल्लुक नहीं है और न ही विवादित भूमि से संबंधित कोई भी कागजात अपीलार्थी नर सिंह के नाम नहीं है। अपीलार्थी मु०अ०सं० 285/2021 धारा 420,467,468,471,120 बी भा०दं०सं० का मुकदमा विवादित भूमि के स्वामी ने नहीं किया है, बल्कि अपीलार्थी नर सिंह ने उक्त वाद अपने नाम से धारा 156(3) दं०प्र०सं० के तहत फर्जी तरीके से दायर कराया है जो सिविल वाद के वाद में है, जो गलत है क्योंकि इस भूमि पर सिविल वाद न्यायालय में विचाराधीन है तो उनके विरुद्ध धारा 420,467,468,471,120 बी भा०दं०सं० का मुकदमा नहीं बनता है जिसके विषय में मा० सर्वोच्च न्यायालय ने 2023 में आदेश पारित किया है कि (क्योंकि तथाकथित व्यक्ति/व्यक्तियों को तंग व परेशान करने के लिए किसी भी सिविल वाद को खण्डित प्रक्रिया में दण्डित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। दर्ज प्राथमिकी रिपोर्ट निरस्त की गयी) जो 2023 (1) ज्यूडिशियल क्रिमिनल केसिस पृष्ठ 481 में स्पष्ट दर्शाया गया है। अपील उपरोक्त में बहस के व्कत अन्य कोई कागजात दाखिल करने का प्रावदान नहीं है क्योंकि अपील उपरोक्त में आदेश दिनांक 20.02.2015 अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध अपील दायर की है इसलिए दिनांक 20.02.2015 से पूर्व जो भी कागजात दाखिल हैं उको देखा जाना अति आवश्यक है।

3- दस्तावेज साक्ष्य के तौर पर तभी स्वीकार किये जाने चाहिए, जब उनकी वाद या अपील के निस्तारण में उपयोगिता हो। यह विवाद विवादित भूमि जी-2/90 बैनामा दिनांकित 05.10.2012 से संबंधित है और साक्ष्य के रूप में दी जाने वाली प्रथम सूचना रिपोर्ट भूमि संख्या जी-2/91 गली नं० 7 पप्पू कलोनी, ग्राम पसोण्डा बैनामा दिनांकित 05.12.2012 से संबंधित है। जिससे यह प्रतीत होता है कि यह दस्तावेज इस वाद या अपील के निस्तारण हेतु सुसंगत नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र कागज संख्या 9 ग अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. निरस्त किया जाता है।

4- पत्रावली दिनांक 05.01.2024 को पेश हो।

(सौरभ गोयल)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
न्याय कक्ष सं०-13, गाजियाबाद।